प्रेस विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (2020-21) नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल (N.S.P.) पर ऑनलाईन माध्यम से आवेदनों के सत्यापन हेतु सभी शिक्षण संस्थान को नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर (KYC) पंजीकरण कराना अनिवार्य है। (KYC) पंजीकरण के उपरांत सभी शिक्षण संस्थान को आईडी. एवं पासवर्ड उनके मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से सभी शिक्षण संस्थान द्वारा अपने छात्र/छात्रा का ऑनलाईन भरे गये आवेदनों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन के उपरांत ही जिला स्तर पर ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा। सभी शिक्षण संस्थान द्वारा ससमय ऑनलाईन सत्यापन नहीं किये जाने पर छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेगें। सभी शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा है कि ससमय अपना (KYC) पंजीकरण शीघ्र करवा ले अथवा समय व्यतीत होने पर सारी जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी। सभी शिक्षण संस्थान को पुर्न पंजीकरण से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में सम्पर्क कर सकते है।

07/8/20

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बक्सर

08/08/20

RAJA 07.08.2020